डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 149/2025

अनवान : —

1. पवन कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी बाम्यलवास त0 भादरा।

:—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पतराम जाति कुम्हार निवासी बाम्बलवास त0 भादरा।
2. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी बाम्बलवास त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी बाम्बलवास त0 भादरा।
4. सन्तोष पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी बाम्बलवास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचंद्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 102/103 के मु0 न0 36 के किला न0 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मु0 न0 37 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 44 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मु0 न0 45 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20, 21 मु0 न0 63 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20 मु0 न0 64 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17 कुल रकबा 8.8550है0 जिसमें नहरी 5.7670है0, गै0 कच्चा रास्ता 0.052है0, बारानी 3.000है0, गै0 मु0 रास्ता 0.036है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 17/105 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी पवन कुमार को 68/525 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को 17/525 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:15:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 140/2025

अनवान : —

1. पवन कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी वाम्यलवास त0 भादरा। :—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पतराम जाति कुम्हार निवासी वाम्यलवास त0 भादरा।
2. सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी वाम्यलवास त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी वाम्यलवास त0 भादरा।
4. सन्तोष पुत्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी वाम्यलवास त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री पवन सिहाग वादी
श्री रामचंद्र बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 18·6·2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 102/103 के मु0 न0 36 के किला न0 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मु0 न0 37 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 44 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मु0 न0 45 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20, 21 मु0 न0 63 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20 मु0 न0 64 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17 कुल रकबा 8.8550है0 जिसमें नहरी 5.7670है0, गै0 कच्चा रास्ता 0.052है0, बारानी 3.000है0, गै0 मु0 रास्ता 0.036है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 17/105 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:15:36 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 1 बीबीएम वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 102/103 के मु0 न0 36 के किला न0 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मु0 न0 37 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 44 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मु0 न0 45 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20, 21 मु0 न0 63 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20 मु0 न0 64

Kalpit

के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17 कुल रकबा 8.8550है0 जिसमें नहरी 5.7670है0, गै0 कच्चा रास्ता 0.052है0, बारानी 3.000है0, गै0 मु0 रास्ता 0.036है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 17/105 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 102/103 के मु0 न0 36 के किला न0 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मु0 न0 37 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 मु0 न0 44 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मु0 न0 45 के किला न0 10/1, 10/2, 11, 20, 21 मु0 न0 63 के किला न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20 मु0 न0 64 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17 कुल रकबा 8.8550है0 जिसमें नहरी 5.7670है0, गै0 कच्चा रास्ता 0.052है0, बारानी 3.000है0, गै0 मु0 रास्ता 0.036है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 17/105 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी पवन कुमार को 68/525 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को 17/525 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 नें वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:15:36 IST
Reason: SelfAttested